संख्या– /89–XXVI/पीएमजीवाई(पु0)/2005

प्रेषक,

एल0 फैनई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनॉक 15 फरवरी, 2005

विषय– प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत महिला साशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को पुष्टाहार योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या–1759/XVII(2)/2004 दिनांक 28 जनवरी, 2005 एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–44(6)पीएफआई/2004–204 दिनॉक 13 जनवरी, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय पीएमजीवाई योजनान्तर्गत पुष्टाहार योजनाओं हेतु वर्ष 2004–05 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये 5.00 करोड़ (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत योजनाओं के लिए ही किया जाय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि न किया जाय; यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पोषाहार उत्तम गुणवत्ता का ही वितरण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

3– उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4– आई0सी0डी0एस0 में स्वास्थ्य विभाग के समन्वित प्रयासों से विकास खण्ड जिला एवं राज्य स्तर पर मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। विकास खण्ड/जिला/राज्य स्तर पर मध्यावधि मूल्यांकन तथा उसके आधार पर कार्य नीति एवं योजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय तथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए पुष्टाहार वितरण के अनुश्रवण उपरान्त धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन/भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

NIC-1149

7– यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते हुए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेश एवं अन्य तदविषयक आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

8– उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–00–आयोजनागत–092–अन्य कार्यालय व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–01–प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना(100 प्रतिशत केन्द्रांश)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशास0 पत्र संख्या–.354/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 11 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एल0 फैनई)
अपर सचिव।

संख्या– 121 (1)/89–XXVI/पीएमजीवाई(पु0)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) शास्त्री भवन नई दिल्ली।
3– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,उत्तरांचल।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5– अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तरांचल शासन के पत्र दिनांक दिनांक 28 जनवरी,2005 के कम में।
5– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
6– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन/गार्ड फाईल/विभागीय पत्रावली हेतु।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

C:\Bhatt\ 89-Plg- PMGY-04